न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 370 / 2025

डॉ0 राजेन्द्र सिंह भाटी, मां बाला सती लॉ एसोसियेट्स, रावत शॉपिंग मॉल, बाल मन्दिर स्कूल के पास, दूगड विघालय रोड, मुख्य बाजार, सरदारशहर, जिला चूरू पिन कोड 331403 मो0न0 9982442221

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा।

——

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 29.09.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 08.09.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 370 / 2025 पर दिनांक 08.09.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2025 / 4165—66 दिनांक 08.09.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा ने पत्रांक आरटीआई / 2025 / 43 दिनांक 24.09.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय लोक सूचना अधिकारी एवं उप पंजीयक चिडावा, जिला झुंझुनूं द्वारा अपने पत्रांक सू / अ / 2025 / 1166 दिनांक 17.09.2025 के द्वारा प्रार्थी को प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा द्वारा पत्रांक आरटीआई / 2025 / 43 दिनांक 24.09.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय लोक सूचना अधिकारी एवं उप पंजीयक चिडावा, जिला झुंझुनूं द्वारा अपने पत्रांक सू / अ / 2025 / 1166 दिनांक 17.09.2025 के द्वारा प्रार्थी को प्रेषित की जा चुकी है। चूंकि प्रार्थी को चाही गई सूचना के कम मे वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 29.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुंझुनूं